संख्या 427/08–XIX–2/111 खाद्य/2002

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(3) संभागीय खाद्य नियंत्रक
गढ़वाल संभाग, देहरादून/
कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

(4) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 07 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2008.

विषयः–लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए0पी0एल0 योजना में माह अक्टूबर, 2008 से दिसम्बर, 2008 तक गेहूँ का तदर्थ/अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 1–7/2008–पीपी–III दिनांक 30 सितम्बर, 2008(छायाप्रति संलग्न) द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की ए0पी0एल0 योजना में माह अक्टूबर, 2008 से दिसम्बर, 2008 के लिए प्रतिमाह 12000 मी0टन (बारह हजार मी0टन मात्र) गेहूँ का तदर्थ/अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित गेहूँ की मात्रा को जनपदवार ए0पी0एल0 राशन कार्ड धारकों की संख्या के आधार पर संलग्न ब्रेकअप के अनुसार आवंटित किया जा रहा है। आप कृपया तदनुसार जनपदों को गेहूँ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3. माह अक्टूबर, 2008 हेतु खाद्यान्न की उठान की वैधता अवधि भारत सरकार के पत्र दिनांक 30, सितम्बर 2008 से 50 दिन की है, अतएव कृपया निर्धारित समयावधि के भीतर आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का भुगतान/उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जाय।

4. यह भी सुनिश्चित किया जाय, कि आवंटित एपीएल गेहूं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्धारित प्रकिया के मानकों/नियमों के अन्तर्गत वितरण किया जाय, तथा पूर्ण सतर्कता बरती जाय कि आवंटित खाद्यान्न का लीकेज/डाईवर्जन कदापि न हो। भारत सरकार के आदेश संख्या–4–7/2005 PY IV/PD-I(PT) दिनांक 17 जनवरी, 2008 का अनुपालन करते हुए उक्त ए0पी0एल0 गेहूं सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के माध्यम से नियमानुसार वास्तविक राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जाय, जिसमें संबंधित अधिकारी का पूर्ण दायित्व रहेगा।

.....2

5. इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय।

6. आवंटित ए0पी0एल0 गेहूँ का भौतिक सत्यापन के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराया जाये।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव।

संख्या 427 (1)/08-XIX-2/111 खाद्य/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. उप सचिव,(बीपी) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 1-7/2008-बीपी-III दिनांक 30 सितम्बर, 2008 के संदर्भ में ।
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, (खाद्य), गढ़वाल संभाग, देहरादून/कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।
6. अपर सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ
7. निजी सचिव, खाद्य मंत्री उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिओम)
संयुक्त सचिव।

वर्ष 2008 में माह अक्टूबर, 2008 से दिसम्बर, 2008 हेतु तदर्थ/अतिरिक्त ए0पी0एल0 गेहूँ का माहवार/जनपदवार आवंटन

शासनादेश सं0–427/08–XIX–2/111–खाद्य/02 टी0सी, दिनांक 07 अक्टूबर, 2008 का संलग्नक

ए0पी0एल0 योजना

(मी0टन में)

गढ़वाल संभाग

क0सं0	जनपद का नाम	गेहूँ का आवंटन
1.	देहरादून	2196.000
2.	हरिद्वार	1703.400
3.	पौड़ी गढ़वाल	1119.900
4.	टिहरी गढ़वाल	713.400
5.	चमोली	498.100
6.	रूद्रप्रयाग	338.200
7.	उत्तरकाशी	367.800
	योगः–	**6936.800**
कुमायूँ संभाग		
8.	नैनीताल	1313.700
9.	बागेश्वर	298.200
10.	पिथौरागढ़	594.600
11.	चम्पावत	285.100
12.	ऊधमसिंह नगर	1745.900
13.	अल्मोड़ा	825.700
	योगः–	**5063.200**
	महायोगः–	**12000.000**

(हरिओम)
संयुक्त सचिव।